भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

दाखिल खारिज वाद सं0–01/2017–18

त्रिवेणी मंडल वगै0

बनाम्

भीम मंडल वगै0

11.12.18

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री त्रिवेणी मंडल, पिता–स्व0 भूपत मंडल एवं अन्य साकिन–बाघमारा (प्रधान टोला) ने नामान्तरण वाद सं0–06/2012–13 अन्तर्गत दिनांक–27.01.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

प्रसांगिक भूमि मौजा– बाघमारा, थाना नं0– 191, जमाबंदी नं0–03 अन्तर्गत रकवा–09बी0–00कट्ठा–09 धुर भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है।

संबंधित नामांतरण वाद सं0–06/2012–13 का अभिलेख अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से प्राप्त है। अभिलेख में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रासंगिक भूमि खतियान में असरी मंडल वो भटकी मंडल वो मिसरी मंडल वो रामलाल मंडल वो नुनू मंडल वो भुटू मंडल, पेशरान– फटकी मंडल के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा पूर्व में आपसी निबंधित बँटवारा किया था, जिसके आधार पर भीम मंडल वो नकुल मंडल, पेशरान– रामचन्द्र मंडल के खाता को अलग कर दाखिल खारिज करने का मंतव्य दिया गया।

उभय पक्ष के द्वारा पक्ष रखा गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा अधूरी वंशावली के आधार पर गलत दाखिल–खारिज किया गया है। दाखिल खारिज किये गये भूमि पर उनका मकान एवं दखल कब्जा है। बँटवारा दस्तावेज पर सभी फरीक का हस्ताक्षर नहीं है। भीम मंडल द्वारा दर्शाये गये दाग नं0–215/1605 एवं 429 बँटवारा डीड में नहीं है। पूर्व में नकुल मंडल द्वारा इसी दाग के दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिया गया था। जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने वाद–202/1993–94 में दाखिल–खारिज को खारिज किया था। भीम मंडल एवं नकुल मंडल सहोदर भाई है। आवेदक त्रिवेणी मंडल जमाबंदी रैयत के पोता है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि आपत्ति किया जाने वाला खेसरा बँटवारा दस्तावेज में है। वर्ष 1976 में बँटवारा हुआ था जिसपर आज आपत्ति किया जाना गलत है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक–07.01.1976 को निबंधित पारिवारिक समझौता बँटवारा दस्तावेज के आधार दाखिल–खारिज किया गया है। दस्तावेज में अनुसूची– 'क' में रामचरण मंडल की भूमि वर्णित है, जो भीम मंडल वो नकुल मंडल के पिता थे। उपरोक्त आपत्ति किया गया खेसरा दस्तावेज की छायाप्रति में दर्ज दिखता है।

11/12/18

प्रथम पक्ष द्वारा अपने भूमि के दाखिल–खारिज हेतु प्रयास नहीं किया गया है। किये गये दाखिल–खारिज से भूमि का हक एवं स्वामित्व स्पष्ट नहीं माना जा सकता है।

किया गया दाखिल–खारिज वर्त्तमान रैयत से मालगुजारी लेने हेतु है। अंचल अधिकारी द्वारा किये गये दाखिल–खारिज के विरूद्ध अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

11.12.18   11.12.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।